



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई.....

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("'उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/ श्रीमती/ कुमारी लालिता देवी
क्री. डॉ. विजय नगर, गोरखपुर

पत्रांक 346

नि० प्रा० २०१६/८८

दिनांक 4-7-2016

भवन/भूखण्ड संख्या/खसस संख्या..... वी-३३। योजना विजय नगर, नगर गोरखपुर
निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक..... २२.६.२०१६ के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या.....
के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमो, शासनादेशों
के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/ जानकारी को गलत
पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 4-7-2016 से 3-7-2021 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण
विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों
सहित मान्य होगा।
2. यह स्वीकृति भूतेल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ममटी हेतु ६९५-३५ वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये
५७.९६ वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- 3 भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड—
उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
- 4 यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित
सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हार्डेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक
प्रतिलिपि :—

पृ० सं० 346

/उपरोक्त

तददिनांक 4-7-2016

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड—३७ उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद गोरखपुर
को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय गोरखपुर उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद गोरखपुर
को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई 3

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

(“उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु”)

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/ श्रीमती/ कुमारी मीला देवी पूर्णा गाम केवल यादव
ग्राम पंचान्तर जिला - गोरखपुर

पत्रांक 25

नि० प्रा० 2017/03

दिनांक 18.1.2017

भूक्तन/भूखण्ड संख्या/खस्स संख्या B-322 योजना विकास नगर नगर गोरखपुर

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 17.01.2017 के क्रम में नि० प्रा० रेजिस्टर संख्या 4/5/78

के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/ जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 18.1.2017 से 17.1.2022 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
2. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ममटी हेतु 6.2.08 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 48.86 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- 3 भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- 37 उ० प्रा० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
- 4 यदि इस भवन/ भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हार्डेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

[Signature]
विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

पृ० सं० 25

/उपरोक्त

तददिनांक 18.1.2017

प्रतिलिपि :-

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 37 उ० प्रा० आवास एवं विकास परिषद गोरखपुर को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय 2/3 गोरखपुर गोरखनामा उ० प्रा० आवास एवं विकास परिषद गोरखपुर को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

[Signature]
विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई...3...

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

(“उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु”)

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/ श्रीमती/ श्री रेन लबुमानी

C-125/71 पांचवी ग्रन्थी, तमाचा नगर

गोरखपुर

नि० प्रा० २६१०/१४

दिनांक 20-4-2017

पत्रांक 124

भूमि/ भूखण्ड संख्या/ स्कॉलर संख्या II-231 योजना विकास नगर नगर गोरखपुर निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 10-4-2017 के क्रम में नि० प्रा० रजिस्टर संख्या 49 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/ जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानवित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 20-4-2017 से 19-4-2022 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
2. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, विशेष कार्याधिकारी हेतु 60.22 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 52.91 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
3. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- 37 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
4. यदि इस भवन/ भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

पृ० सं० 124

/ उपरोक्त

/

तददिनांक 20-4-2017

प्रतिलिपि :-

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 37 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, गोरखपुर को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय, गोरखपुर उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, गोरखपुर को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई...3...

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

(“उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु”)

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/ श्रीमती/ कुमारी इश्वरा केन्द्र A-137 साहस्रनगर फैज़ाबाद में जो वहीं

A=137 यानि इन १३७ का लोटी

અક્ષરસ પુષ્પ દીપાળી પુષ્પ ૩૦૨૨૯

निं प्रा०

2017/33

दिनांक..... १५-५-२०१७

पत्रांक 171

भवन/भूखण्ड संख्या/खस्त संख्या..... C-235 योजना..... प्रिकाला-नगर..... नगर..... २०११.१२.०५

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक ४.५.१७ के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या.....

..... के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों के प्राविधिकानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

- स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 15-5-2017 से 14-5-2022 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
 - यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ममटी हेतु 60.31 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 52.91 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
 - भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
 - यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
 - यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
 - 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद् नियाजक

पृ० सं० 171

/ उपरोक्त

तद्दिनांक १५-५-२०१७

प्रतिलिपि :-

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड..... 37 उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद.... गोरक्षपुर
को स्वीकृत मानवित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
 2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय..... गोरक्षपुर उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद.... गोरक्षपुर
को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद् नियोजक

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई ३

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

(“उप्रो आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु”)

स्वीकृत-पत्र

सेवा में

श्री / श्रीमती / कुमारी तारामती द्वारा दिनांक 18.1.2017
कुमारी तारामती द्वारा दिनांक 18.1.2017
भूमि का संख्या - ०४/५१६
जलपट-महायज्ञगंगा (प्राची)

पत्रांक २२

निरो प्रा० 2017/02

दिनांक 18.1.2017

भवन/भूखण्ड संख्या / खस्स संख्या C-120 योजना विकास नगर नगर गाँगुली
निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 16.01.2017 के क्रम में निरो प्रा० रजिस्टर संख्या ०४/५१६ के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 18.1.2017 से 17.1.2022 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
2. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ममठी हेतु 44.92 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 60.59 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
3. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- ३.७ उप्रो आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
4. यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

पृष्ठ सं २२

/ उपरोक्त

तददिनांक 18.1.2017

प्रतिलिपि :-

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड ३.७ उप्रो आवास एवं विकास परिषद गाँगुली को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय २/३.२१८ पुरा गाँगुली उप्रो आवास एवं विकास परिषद गाँगुली को उपरोक्त शर्त सं. ५ के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/ श्रीमती/ कुमारी अनीत कुमार रमानी
लट्टीपुर विकास नगर
गोरखपुर

पत्रांक 2

नि० प्रा० २०१६/१०

दिनांक २-१-२०१७

प्रबन्ध/भूखण्ड संख्या/खम्मा संख्या..... 46 योजना विकास नगर नगर गोरखपुर
निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक १९.१२.२०१६ के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या ५२/५४।

के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/ जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक २-१-२०१७ से १-१-२०२२ तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
2. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा मर्मी हेतु १८८.२५ वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये २८०.०० वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
3. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड - ३७ उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से १४ दिन पूर्व देनी होगी।
4. यदि इस भवन/ भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक^{प्रभाव}

प० सं०

2

/उपरोक्त

तददिनांक २-१-२०२२

प्रतिलिपि :-

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड - ३७ उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद गोरखपुर को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय सुरजनगर उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद गोरखपुर को उपरोक्त शर्त सं. ५ के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक^{प्रभाव}



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई.....

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

(‘७० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु’)

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री / स्त्री / कुमारी झानल कुमार रामवानी
३५८, निजम नगर, मिठी गालोती मप्ट
गोरखपुर

पत्रांक 272

नि० प्रा० 2017/६६

दिनांक 2-8-2017

भक्त/भूखण्ड संख्या / खस्स संख्या 46 योजना शिवम मृ. डा. समिति नगर गोरखपुर

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक ५-७-२०१७ के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या ८९/८०६

के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अच्यु नियमो, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/ जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्ता समझा जायेगा।

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 2-8-2017 से 18-8-2022 तक) पाँच वर्ष की ढोगी। निर्माण

विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।

2. यह स्वीकृति भूक्त्व, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ममटी हेतु 187-38 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये..

288.८८ वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है। (यत्काल इंजीनियरिंग नियम तलाश्वर्म में स्वीकृति/निर्मित है।)

3. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- ३७

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।

4. यदि इस भवन/ भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।

5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

प० सं० २२२

/उपरोक्त

प्रतिलिपि :-

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक
रामवानी तददिनांक 2-8-2017

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- ३७ उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद गोरखपुर को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय अ०-६० उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद गोरखपुर को उपरोक्त शर्त सं. ५ के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक
रामवानी 218/17



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई ३

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

(‘उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु’)

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/ मेरि नरमिट प्रसाद चौधरी

मृ. बहवीलिया पाठ्ट मैट्रिक्सल मन्त्रकारी नगर

पत्रांक 61

उत्तर प्रदेश, निरो प्रा० 2017/16

दिनांक 20-2-2017

भक्त/भूखण्ड संख्या/खस्तरा संख्या P-333 योजना विकास कार्यालय नगर गोरखपुर

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 13-2-2017 के क्रम में निरो प्रदेश रजिस्टर संख्या 605

के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमो, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 20-2-2017 से 19-2-2022 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।

2. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, ~~द्वितीय तल~~ हेतु 63.31 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 48.50 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।

3 भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- 37 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।

4 यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।

5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

परिशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

Revti

पृ० सं० 61

/ उपरोक्त

तददिनांक 20-2-2017

प्रतिलिपि :-

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 37 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद गोरखपुर को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय गोरखपुर उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद गोरखपुर को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

परिशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

Revti



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई...^{ट्रैटरप}

नालोगरा कान्बलक्ष्मि, द्वितीय तले, इन्डस्ट्री नगर, लखनऊ ("उम्हा प्रो आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण होते")

स्वीकृत-पत्र

卷之二

श्री / श्रीमती / कुमारी २००५ संस्कृता वर्ष
दिल्ली-११००२८ विहार अन्तर्राष्ट्रीय बायस्कॉप

पत्रांक ३५ निः प्रा० २०१८।०६

निं प्रा० २०१५।०६

दिनांक 31.1.2017

भूखण्ड संख्या / उत्तर संख्या.....५३७९ योजना.....~~कालान्तरीकरण~~.....नगर.....~~कालान्तरीकरण~~.....निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक.....१५/१/२०१२ के क्रम में निप्र ०० रोजस्टर संख्या.....२८६.....के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य / जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्थितः निरस्त समझा जायेगा।

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक **३१.१.२०११** से **३१.१.२०२२** तक) पाँच वर्ष की ऊंगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होंगा।

2. यह स्वोकृति भूतल, प्रथम तल, ~~प्रथम तल~~ तथा मरटी हेतु **२५.१६**...वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये...
५६.५० वर्गमीटर भखण्ड में प्रदान की गई है।

३ भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- ३२

4 यदि इस भवन / भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एटद द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है ।


सम्पादित प्रबन्ध आधिकारों से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक 6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेसिंग का प्राविधिकान किया जाना होगा।

विशेष कायाधिकारे एवं वास्तुवेद नियोजक
तदिनांक ३१-१-२१) /उपरोक्त ३५ पृष्ठ सं०

प्रतिलिपि :-

1. आधेशासी आभियन्ता निमाण खण्ड-३७ उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् २१ अक्टूबर
को स्थीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालयं उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् २१ अक्टूबर
को उपरोक्त शर्त सं. ५ के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

०८ विशेष कायाधिकारी एवं वास्तविक नियोजक



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई...प्रतीक्षा

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

(‘उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु’)

स्वीकृत-पत्र

सेवा में

श्री/ श्रीमती/ कुमारी रवीष्टा बृन्दावन गौड़ी
EW-128 स्वीकृति विद्वार भालोकी ३०२ रज्जनाप
३०२ रज्जनाप

पत्रांक ३६

नि० प्रा० २०१७/०५

दिनांक ३१-१-२०१७

भवन/ भूखण्ड संख्या/ खंडरा संख्या ३३६० योजना विकास नगर बीरबलपुर निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक ११/०१/२०१७ के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या ९८ के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/ जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक ३१-१-२०१७ से ३१-१-२०२२ तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
2. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, ५८.५८ वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
3. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- ३० उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
4. यदि इस भवन/ भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हार्डेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

०८ विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

पृ० सं० ३६

/उपरोक्त

तददिनांक ३१-१-२०१७

प्रतिलिपि :-

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-३० उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद बीरबलपुर को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय बीरबलपुर उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद बीरबलपुर को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

९६ विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक
०८ विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद



वास्तुकला एवं नियोजन इकाई

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

(“उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु”)

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/ श्रीमती/ कुमारी वैद्य प्रलाश एवं भरत कुमार चंद्रानी

जी० गोरखपुर दाशीली पौष्टि - सदर

जि० ला० - जी० गोरखपुर

नि० प्रा० 2016/ ११

दिनांक २१.१२.२०१७

पत्रांक

१

भवन/ भूखण्ड संख्या/ खस्ता संख्या.....८.६..... योजना वैद्यलखनगढ़, श्रीवर्मा, नगर गोरखपुर

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक ११.१२.२०१६ के क्रम में नि० प्र० २०१ रजिस्टर संख्या १५३/५४२

के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/ जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

१. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक २१.१२.२०१७ से १.१.२०२२ तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।

२. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा प्रमाणी हेतु २४१.६२ वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये ३६०,००० वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।

३ भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड - ३७ उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से १४ दिन पूर्व देनी होगी।

४ यदि इस भवन/ भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।

५. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

६. ३०० वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

राम

तददिनांक २१.१२.२०१७

पृ० सं० १

/ उपरोक्त

/

तददिनांक २१.१२.२०१७

प्रतिलिपि :-

- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड ३७ उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद गोरखपुर को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय गोरखपुर प्रीपन उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद गोरखपुर को उपरोक्त शर्त सं. ५ के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

राम



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

(‘उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु’)

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/ श्रीमती/ कुमारी विनय प्रवाली राय
ग्रा० व पौ० शैलाटगढ़ जीला महाराजगंज,
गोरखपुर

पत्रांक 83

नि० प्रा० २०१६/२२

दिनांक ९.३.२०१६

भवन/ भूखण्ड संख्या/ खस्ता संख्या। १। - B योजना विकास नगर नगर गोरखपुर
निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक ०३.०३.२०१६ के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या २९/१०२
के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों शासनादेशों
के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/ जानकारी को गलत
पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

१. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक ९.३.२०१६ से ८.३.२०२१ तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण
विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों
सहित मान्य होगा।
२. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ममटी हेतु ।।। ३.२ वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये २.४.९.५.० वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- ३ भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- ३.७
उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से १४ दिन पूर्व देनी होगी।
- ४ यदि इस भवन/ भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
५. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित
सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
६. ३०० वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हार्डेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

पू० स० ८३

/उपरोक्त

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

प्रतिलिपि :-

१. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड ३.७ उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद गोरखपुर
को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
२. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय सुरक्षा और जगता ००० प्र० आवास एवं विकास परिषद गोरखपुर
को उपरोक्त शर्त सं. ५ के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई ३

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/ मिनीट विनाद कुमार विवेदी
L.I.G.-182 जावाम विकास नगर
विकास नगर निर्माण प्राप्ति पत्र (प्र०) दिनांक 18-8-2017
पत्रांक 292 निर्माण प्राप्ति पत्र दिनांक 2017/72

भवन/भूखण्ड संख्या/खसरा संख्या A-182 योजना विकास नगर नगर गोरखपुर

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 9-8-17 के क्रम में निर्माण प्राप्ति पत्र संख्या 868/110

के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

- स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 18-8-2017 से 17-8-2022 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कभी प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
- यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, विनाद विनाद हेतु 36.53 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 63.838 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- 37 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
- यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
- यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

पूर सं 292

/ उपरोक्त

तददिनांक 18-8-2017

प्रतिलिपि :-

- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- 37 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद गोरखपुर को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय B-60 गोरखपुर उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद गोरखपुर को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक
प्र० 18-8-2017